भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3114 का उत्तर

रेलगाड़ियों पर पथराव

3114. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वंदे भारत सहित विभिन्न रेलगाड़ियों पर पथराव होने की घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के प्राथमिक कारण का पता लगाने के लिए तथ्यान्वेषी रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई कार्रवाई और किए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पत्थरबाजी से क्षतिग्रस्त हुए डिब्बों की मरम्मत में रेलवे द्वारा वहन की गई लागत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य सरकार के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/ज़िला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज और जांच-पड़ताल करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के लिए बेहतर रक्षा और सुरक्षा सुलभ कराने और तत्संबंधी मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहयोग करता है।

वर्ष 2023, 2024 और 2025 (फरवरी तक) के दौरान, वंदे भारत गाड़ियों सहित गाड़ियों पर पथराव की 7,971 घटनाएं दर्ज की गई हैं। प्रत्येक मामले को कानूनी प्रावधानों के तहत दर्ज किया जाता है, जिसके बाद अपराधियों की उचित जांच की जाती है और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है। ऐसी घटनाओं की प्रतिक्रिया में, पथराव में शामिल 4,549 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए, राजकीय रेलवे पुलिस/स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन के समन्वय में रे.सु.ब. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं: -

1. रेल पटरियों के आस-पास के रिहायशी इलाकों में लोगों को पत्थराव और उसके दुष्परिणामों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
2. रेलगाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों को संवेदनशील क्षेत्रों/स्थानों, जहां रेलगाड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, पर अधिक सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया है।
3. चलती ट्रेनों पर पथराव की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन घटनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाती है।
4. चिह्नित किए गए संवेदनशील स्थानों पर शराबी, शरारती तत्वों आदि जैसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं, जो गतिशील प्रकृति के होते हैं। इन मामलों में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और कानूनी प्रावधानों के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाता है।

5. राजकीय रेल पुलिस/स्थानीय पुलिस के साथ नियमित रूप से समन्वय बनाए रखा जाता है और रेलगाड़ियों पर पथराव की समस्या को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाती है।

6. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

(घ): वर्ष 2023, 2024 और 2025 (फरवरी तक) के दौरान, पथराव से क्षतिग्रस्त हुए सवारी डिब्बों (वंदे भारत सवारी डिब्बों सहित) की मरम्मत के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा कुल 5.79 करोड़ रुपए की लागत उपगत की गई।

******